असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

16 मार्च, 2020

षोडश विधान सभा — सोमवार, तिथि 16 मार्च, 2020 ई0
पंचदश सत्र — 26 फाल्गुन, 1941(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय- 11.00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

माननीय सदस्यगण, कोरोना वायरस से उत्पन्न महामारी COVID-19 से भारत सहित पूरा विश्व आक्रांत है । इस अप्रत्याशित एवं असाधारण परिस्थिति से निपटने हेतु प्रांतीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक एहतियाती कदम उठाये जा रहे हैं । विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कई एडवायजरी जारी किया है । इसके तहत प्रमुख रूप से अधिक लोगों के सामूहिक क्रिया-कलाप से परहेज तथा भीड़-भाड़ से बचने की सलाह दी गयी है ।

इसी संदर्भ में आवश्यक विमर्श हेतु मैंने आज ही कार्य मंत्रणा समिति की बैठक 10 बजे बुलायी थी । इसमें कुछ निर्णय लिए गये हैं जिसे नेता, प्रतिपक्ष सदन के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेंगे ।

माननीय नेता, प्रतिपक्ष ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''दिनांक 16 मार्च, 2020 के कार्य-मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन पर सभा की सहमति हो ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''दिनांक 16 मार्च, 2020 के कार्य-मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन पर सभा की सहमति हो । ''

समिति ने निम्न सिफारिशें की हैं :-

1. दिनांक 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, एवं 31 मार्च, 2020 के लिए निर्धारित बैठकें नहीं हों ;

2. सोमवार, यानी आज दिनांक 16 मार्च, 2020 के लिए निर्धारित वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सहकारिता विभाग से संबंधित आय-व्ययक के अनुदान की मांग के निष्पादन के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के शेष सभी अनुदानों की मांगें मुखबंद (गिलोटीन) के माध्यम से निष्पादित किये जाएं । तदुपरांत वित्तीय वर्ष

टर्न-1:2/मधुप-अभिनीत/16.03.20

2020-21 के आय-व्ययक से संबंधित विनियोग विधेयक का व्यवस्थापन तथा इसका निष्पादन हो ।

साथ ही यह भी निर्णय हुआ है कि जो सामान्य रूप से 5 बजे उस पर मतदान होता है, 2 बजे जब इस मांग को लिया जायेगा तत्क्षण उसी समय उस पर मतदान करके उसका शीघ्रातिशीघ्र निष्पादन कर दिया जायेगा ।

3. दिनांक 17 मार्च, 2020 से 31 मार्च, 2020 के बीच के सभी स्वीकृत प्रश्नों को प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को समीक्षा हेतु भेज दिये जायं ।

4. दिनांक 27 मार्च, 2020 एवं 31 मार्च, 2020 के लिए सभी स्वीकृत गैर सरकारी संकल्प बिहार विधान सभा की गैर-सरकारी विधेयक एवं संकल्प समिति के अनुश्रवण हेतु भेज दिए जाएं'' ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रतिवेदन पर सभा की सहमति हुई ।

सभा के समक्ष प्रतिवेदनों का रखा जाना

अध्यक्ष : माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में मैं बिहार सरकार का 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन ''राज्य का वित्त'' तथा ''राजस्व प्रक्षेत्र'' जिसे बिहार विधान मंडल के समक्ष रखे जाने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-238 के उपबंध के अनुसार लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन यथा समय में उपस्थापित किया जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन ''राज्य का वित्त'' तथा ''राजस्व प्रक्षेत्र'' को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन ''राज्य का वित्त'' तथा ''राजस्व प्रक्षेत्र'' को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सदन बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का गठन, 01 अप्रील, 2020 से षोडश बिहार विधान सभा की शेष अवधि तक के लिए बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम क्रमशः 237(1), 240(1) एवं 241(1) के अनुसार निर्वाचन पद्धति से न होकर मनोनयन पद्धति से हो एवं अध्यक्ष, बिहार विधान सभा उन समितियों के सदस्यों का मनोनयन करें तथा बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 237(1), 240(1) एवं 241(1) के आवश्यक अंश केवल इस हद तक शिथिल किये जायें ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''यह सदन बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का गठन, 01 अप्रील, 2020 से षोडश बिहार विधान सभा की शेष अवधि तक के लिए बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम क्रमशः 237(1), 240(1) एवं 241(1) के अनुसार निर्वाचन पद्धति से न होकर मनोनयन पद्धति से हो एवं अध्यक्ष, बिहार विधान सभा उन समितियों के सदस्यों का मनोनयन करें तथा बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 237(1), 240(1) एवं 241(1) के आवश्यक अंश केवल इस हद तक शिथिल किये जायें ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सदन बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम क्रमशः 237(1), 240(1) एवं 241(1) के अनुसरण में बिहार विधान परिषद् से सिफारिश करता है कि वह इस सदन के, 01 अप्रील, 2020 से षोडश बिहार विधान सभा की शेष अवधि तक के लिए क्रमशः लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सह सदस्यों के लिए बिहार विधान परिषद् से क्रमशः चार, छः एवं तीन सदस्यों को मनोनीत करने के लिए सहमत हो तथा बिहार विधान परिषद् सदस्यों के नाम इस सदन को सूचित करें ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''यह सदन बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम क्रमशः 237(1), 240(1) एवं 241(1) के अनुसरण में बिहार विधान परिषद् से सिफारिश करता है कि वह इस सदन के, 01 अप्रील, 2020 से षोडश बिहार विधान सभा की शेष अवधि तक के लिए क्रमशः लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सह सदस्यों के लिए बिहार विधान परिषद् से क्रमशः चार, छः एवं तीन सदस्यों को मनोनीत करने के लिए सहमत हो तथा बिहार विधान परिषद् सदस्यों के नाम इस सदन को सूचित करें ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्यगण, कार्य मंत्रणा समिति ने यह भी निर्णय लिया है कि आज का प्रश्नकाल या जो शेष काल, शून्यकाल या ध्यानाकर्षण का काल है, वह भी स्थगित रहेगा और उस काल के लिए जो भी सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, वह संबंधित समितियों को समीक्षा के लिए अग्रसारित कर दिये जायेंगे ।

अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-3-4/आजाद:अंजली/16.03.2020

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । सभा सचिव ।

याचिकाओं का उपस्थापन

सभा सचिव : महोदय, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमावली के नियम-267 के अंतर्गत मुझे प्रतिवेदित करना है कि विभिन्न विषयों के संबंध में पटल पर रखे गए विवरण के अनुसार 86 याचिकाएं प्राप्त हुई हैं ।

सभा के समक्ष प्रतिवेदनों का रखा जाना

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, गृह विभाग ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (ए) (2) के तहत् बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के क्रमश: वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 तक का वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, परिवहन विभाग ।

श्री संतोष कुमार निराला, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (ए) (2) के तहत् बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का वर्ष 1985-86 से वर्ष 2005-06 तक के वार्षिक लेखा का पृथक अंकक्षेण प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ।

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (ए) (2) के तहत् बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के वर्ष 2013-14 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सभापति, लोक लेखा समिति ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, सभापति, लोक लेखा समिति : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-239 के तहत लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन संख्या-693, 694 एवं 697 की एक-एक प्रति को सदन में उपस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष: माननीय सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ।

श्री हरिनारायण सिंह, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-211 के तहत् बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड से संबंधित समिति का क्रमशः 208वां एवं 209वां प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सभापति, निवेदन समिति ।

श्री भाई वीरेन्द्र, सभापति, निवेदन समिति : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-211 के तहत निवेदन समिति का 9वां, 10वां, 11वां, 12वां एवं 13वां प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सभापति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति ।

श्री ललन पासवान, सभापति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-211 के तहत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना से सम्बन्धित समिति का 35वां प्रतिवेदन की एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूं ।

वित्तीय कार्य

अध्यक्ष : अब वित्तीय कार्य । माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग । अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री राणा रणधीर, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''सहकारिता विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 11,68,38,14,000/-(ग्यारह अरब अड़सठ करोड़ अड़तीस लाख चौदह हजार) रुपए से अनधिक राशि प्रदान की जाए । ''

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : इस मांग पर माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री रामदेव राय, श्री मो0 नेमतुल्लाह एवं श्री कुमार सर्वजीत से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ये सभी व्यापक हैं जिन पर सभी माननीय सदस्य विचार-विमर्श कर सकते हैं ।

माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव का प्रस्ताव प्रथम है ।

अतएव माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में मैं कटौती प्रस्ताव मूव नहीं करूंगा ।

अध्यक्ष : ठीक है । अब मैं माननीय मंत्री का मूल प्रस्ताव लेता हूँ ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि :

'' सहकारिता विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 11,68,38,14,000/- (ग्यारह अरब अड़सठ करोड़ अड़तीस लाख चौदह हजार) रुपए से अनधिक राशि प्रदान की जाए । ''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

माननीय सदस्यगण, अब शेष अनुदानों की मांगों का मुखबंध होगा ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि :

''31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए:-

मांग संख्या-2 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के संबंध में 11,78,92,15,000/- (ग्यारह अरब अठहत्तर करोड़ बानवे लाख पन्द्रह हजार) रुपए।

मांग संख्या-3 भवन निर्माण विभाग के संबंध में 53,95,71,88,000/- (तिरपन अरब पंचानवे करोड़ ईकहत्तर लाख अठ्ठासी हजार) रुपए ।

मांग संख्या-4 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संबंध में 5,10,50,35,000/- (पांच अरब दस करोड़ पचास लाख पैंतीस हजार) रुपए ।

मांग संख्या-6 निर्वाचन विभाग के संबंध में 7,97,22,43,000/- (सात अरब सतानवे करोड़ बाईस लाख तैंतालीस हजार) रुपए ।

मांग संख्या-7 निगरानी विभाग के संबंध में 42,72,05,000/- (बयालीस करोड़ बहत्तर लाख पांच हजार) रुपए ।

मांग संख्या-8 कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के संबंध में 1,69,26,62,000/- (एक अरब उनहत्तर करोड़ छब्बीस लाख बासठ हजार) रुपए ।

मांग संख्या-10 ऊर्जा विभाग के संबंध में 55,60,17,17,000/- (पचपन अरब साठ करोड़ सत्रह लाख सत्रह हजार) रुपए ।

मांग संख्या-11 पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संबंध में 16,59,96,26,000/- (सोलह अरब उनसठ करोड़ छियानवे लाख छब्बीस हजार) रुपए।

मांग संख्या-12 वित्त विभाग के संबंध में 42,39,11,58,000/- (बयालीस अरब उन्तालीस करोड़ ग्यारह लाख अठ्ठावन हजार) रुपए ।

मांग संख्या–15 पेंशन के संबंध में 204,54,10,42,000/– (दो सौ चार अरब चौवन करोड़ दस लाख बयालीस हजार) रुपए ।

मांग संख्या–16 पंचायती राज विभाग के संबंध में 106,15,20,65,000/– (एक सौ छः अरब पंद्रह करोड़ बीस लाख पैंसठ हजार) रुपए ।

मांग संख्या–17 वाणिज्य–कर विभाग के संबंध में 1,96,42,76,000/– (एक अरब छियानवे करोड़ बयालीस लाख छिहत्तर हजार) रुपए ।

मांग संख्या–18 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संबंध में 15,94,44,41,000/– (पन्द्रह अरब चौरान्वे करोड़ चवालीस लाख इकतालीस हजार) रुपए ।

मांग संख्या–19 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संबंध में 6,38,93,39,000/– (छः अरब अड़तीस करोड़ तिरानवे लाख उन्तालीस हजार) रुपए ।

मांग संख्या–20 स्वास्थ्य विभाग के संबंध में 109,37,68,03,000/– (एक सौ नौ अरब सैंतीस करोड़ अड़सठ लाख तीन हजार) रुपए ।

मांग संख्या–22 गृह विभाग के संबंध में 120,83,49,59,000/– (एक सौ बीस अरब तिरासी करोड़ उनचास लाख उनसठ हजार) रुपए ।

मांग संख्या–23 उद्योग विभाग के संबंध में 9,15,84,96,000/– (नौ अरब पन्द्रह करोड़ चौरासी लाख छियानवे हजार) रुपए ।

मांग संख्या–24 सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संबंध में 2,38,17,90,000/– (दो अरब अड़तीस करोड़ सत्रह लाख नब्बे हजार) रुपए ।

मांग संख्या–25 सूचना प्रावैधिकी विभाग के संबंध में 2,73,52,01,000/– (दो अरब तिहत्तर करोड़ बावन लाख एक हजार) रुपए ।

मांग संख्या–26 श्रम संसाधन विभाग के संबंध में 8,69,51,81,000/– (आठ अरब उनहत्तर करोड़ ईकावन लाख ईक्यासी हजार) रुपए ।

मांग सख्या–27 विधि विभाग के संबंध में 9,15,71,19,000/–(नौ अरब पंद्रह करोड़ ईकहत्तर लाख उन्नीस हजार) रुपए ।

मांग संख्या–29 खान एवं भूतत्व विभाग के संबंध में 53,50,57,000/– (तिरपन करोड़ पचास लाख सतावन हजार) रुपए ।

मांग संख्या–30 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संबंध में 5,32,24,47,000/– (पांच अरब बत्तीस करोड़ चौबीस लाख सैंतालीस हजार) रुपए।

मांग संख्या–31 संसदीय कार्य विभाग के संबंध में 2,30,43,000/– (दो करोड़ तीस लाख तैंतालीस हजार) रुपए ।

मांग संख्या–32 विधान मंडल के संबंध में 2,24,86,94,000/– (दो अरब चौबीस करोड़ छियासी लाख चौरानवे हजार) रुपए ।

मांग संख्या–33 सामान्य प्रशासन विभाग के संबंध में 7,35,62,08,000/– (सात अरब पैंतीस करोड़ बासठ लाख आठ हजार) रुपए ।

मांग संख्या–35 योजना एवं विकास विभाग के संबंध में 21,01,56,14,000/– (इक्कीस अरब एक करोड़ छप्पन लाख चौदह हजार) रुपए ।

मांग संख्या–36 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संबंध में 58,56,44,67,000/– (अठ्ठावन अरब छप्पन करोड़ चवालीस लाख सड़सठ हजार) रुपए ।

मांग संख्या–37 ग्रामीण कार्य विभाग के संबंध में 106,38,88,83,000/– (एक सौ छः अरब अड़तीस करोड़ अठ्ठासी लाख तिरासी हजार) रुपए ।

मांग संख्या–38 मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के संबंध में 2,80,47,65,000/– (दो अरब अस्सी करोड़ सैंतालीस लाख पैंसठ हजार) रुपए ।

मांग संख्या–39 आपदा प्रबंधन विभाग के संबंध में 87,02,65,78,000/– (सतासी अरब दो करोड़ पैंसठ लाख अठ्ठहत्तर हजार) रुपए ।

मांग संख्या–40 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संबंध में 9,37,94,14,000/– (नौ अरब सैंतीस करोड़ चौरानवे लाख चौदह हजार) रुपए ।

मांग संख्या–41 पथ निर्माण विभाग के संबंध में 67,06,11,20,000/–सड़सठ अरब छः करोड़ ग्यारह लाख बीस हजार) रुपए ।

मांग संख्या–42 ग्रामीण विकास के संबंध में 159,55,28,70,000/– (एक सौ उनसठ अरब पचपन करोड़ अठाईस लाख सत्तर हजार) रुपए ।

मांग संख्या–43 विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के संबंध में 3,36,49,86,000/– (तीन अरब छत्तीस करोड़ उनचास लाख छियासी हजार) रुपए।

मांग संख्या–44 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के संबंध में 17,24,81,36,000/– (सत्रह अरब चौबीस करोड़ ईक्यासी लाख छत्तीस हजार) रुपए ।

मांग संख्या–45 गन्ना उद्योग विभाग के संबंध में 1,18,95,30,000/– (एक अरब अठारह करोड़ पंचानवे लाख तीस हजार) रुपए ।

मांग संख्या–46 पर्यटन विभाग के संबंध में 2,83,63,09,000/– (दो अरब तिरासी करोड़ तिरसठ लाख नौ हजार) रुपए ।

मांग संख्या–47 परिवहन विभाग के संबंध में 3,72,69,43,000/– (तीन अरब बहत्तर करोड़ उनहत्तर लाख तैंतालीस हजार) रुपए ।

मांग संख्या–50 लघु जल संसाधन विभाग के संबंध में 11,99,08,83,000/– (ग्यारह अरब निन्यानवे करोड़ आठ लाख तिरासी हजार) रुपए ।

मांग संख्या–51 समाज कल्याण विभाग के संबंध में 79,94,35,41,000/– (उन्यासी अरब चौरानवे करोड़ पैंतीस लाख इकतालीस हजार) रुपए से अनधिक राशि प्रदान की जाय । ''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभी मांगें स्वीकृत हुईं ।

विधायी कार्य

बिहार विनियोग (संख्या–2)विधेयक, 2020

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब विधायी कार्य । प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''बिहार विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय । ''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' बिहार विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' बिहार विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2020 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' बिहार विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2020 पर विचार हो ।''

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडश: लेता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खंड 2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 एवं 3 इस विधेयक के अंग बने ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''नाम इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2020 स्वीकृत हो ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2020 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2020 स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 16 मार्च, 2020 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या-29 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

श्री महबूब आलम : महोदय, ... (व्यवधान)

अध्यक्ष : इसपर तो कई बार बोल चुके हैं ।

माननीय सदस्यगण, अब जिस परिप्रेक्ष्य में हमलोगों ने विशेष परिस्थिति में निर्णय लेकर सदन को स्थगित करने का निर्णय लिया है, कोरोना वायरस से जनित जो Covid-19 बीमारी है, उसके संबंध में सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी वक्तव्य देना चाहते हैं, कुछ अपनी राय रखना चाहते हैं ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, कुछ बोलना चाहते हैं सर ।

अध्यक्ष : क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, आसन की तरफ से एक निर्देश जाना चाहिए सरकार को कि बिना बहस किये हुए सारे विभागों को हमलोगों ने पैसा दे दिया । ऐसा नहीं कि पैसा खर्च सरजमीं पर लोग नहीं करें और अपने ऐश-मौज पर खर्चा करें, यह निर्देश दीजिए ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर हमलोगों ने प्रस्ताव लाया, उसपर मुख्यमंत्री जी अपनी बात को रखेंगे कोरोना वायरस पर, इसपर हमलोगों का सुझाव भी होगा ।

अध्यक्ष : हां, दे दीजिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : सुझाव में महोदय, आप देखियेगा कोरोना वायरस जो है, वह पूरे देश में महामारी का पूरे दुनिया भर में बल्कि वर्ल्ड हेल्थ ऑरगनाईजेशन ने इसको एनाऊंस किया है और कई गाईडलाईन्स भी देने का काम किया है । दो दिन पहले जो है, आपको पता होगा राष्ट्रीय जनता दल का प्रशिक्षण शिविर था राजगीर में, उसको हमलोगों ने स्थगित किया क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने बड़ी गंभीरता से बैठक बुलायी और बैठक में जो है गाईड लाईन्स तय किये गये, उसके आधार पर जो है, हमलोगों का जो है प्रशिक्षण शिविर था, वह कैंसिल किया गया । साथ ही साथ, हम बेरोजगारी हटाओ यात्रा पर भी थे, उसको भी हमलोगों ने स्थगित करने का काम किया। बात यह आती है महोदय, कि जो गंभीरता मुख्यमंत्री जी ने दिखाया या आज सदन के लोगों ने इसको सर्वसम्मति से पास किया है कि कार्यवाही जो है, इसको स्थगित किया जाय अगले अनश्चितकाल तक तो सभी लोग गंभीर हैं और हमलोग

चाहते हैं कि बिहार में ये जो कोरोना वायरस है, वह फैले न और आये न । लेकिन यह सवाल उठता है कि विपक्ष के नाते हमलोग सरकार के गाईडलाईन्स को मानते हैं, नियमावली को मानते हैं, नियम को मानते हैं, लेकिन सरकार के मुख्यमंत्री के और सरकार के आदेश को उन्हीं के मंत्री पालन नहीं करते हैं, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है । आप देखियेगा कि बी0जे0पी0 के बैठकों में मंगल पाण्डेय जी बल्कि ये स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनको तो और गंभीर होना चाहिए, इनको तो और समीक्षा बैठक करनी चाहिए और जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और इनको जागरूकता अभियान जो है, वह फैलाने का काम करना चाहिए और इन्हीं के मंत्री, सरकार के मंत्री ही गाईडलाईन्स का पालन नहीं करते हैं तो इसका क्या मतलब है, अगर सदन जो है, वह बहुत महत्वपूर्ण बिजनेस चलता है, अगर हम मंत्री जी हमलोग सबलोग मिलकर के सदन को आगे के लिए कौंसिल किये हैं तो इसमें तो मंत्री जी की तो और जवाबदेही बनती है कि उस गाईडलाईन को और फॉलो करें । वरना यह सदन स्थगित करने का क्या मतलब है, अगर मंत्री जी जाकर के बी0जे0पी0 के कार्यकर्त्ताओं की बैठक करें और अभी हमने देखा समाचार में कि श्री प्रेम कुमार जी का छपाक कोई वाटर पार्क है, उसका उद्घाटन कर रहे हैं और इससे महामारी फैलने का डर है तो इन लोगों को और जानकारी बतानी चाहिए।

अध्यक्ष : जरूर ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, अभी हमने समाचार में भी पढ़ा है, हमने समाचार में भी देखा है कि अस्पताल से एक कुत्ता जो है, वह नवजात शिशु का अंग लेकर चला जा रहा है । आखिर राज्य सरकार का ऐसा कौन सा हाईजनिक व्यवस्था है या साफ-सफाई को लेकर या जिला स्तर पर कौन सी बेड की व्यवस्था की गई है या दवा या कोई भी ऐसी मास्क की उपलब्धता नहीं है, सैनेटाईजर जो है, वह नहीं है, डॉक्टर जो हैं, वह नहीं हैं,

..... क्रमशः .....

टर्न-5/6/शंभु-धिरेन्द्र/16.03.2020

क्रमशः

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : आखिर क्या व्यवस्था की गई है, इसपर हम लोग जानकारी चाहेंगे । हमलोगों ने देखा कि चमकी बुखार के समय जो लापरवाही, जिस प्रकार से श्री मंगल पांडे जी ने इस सरकार ने अपनाने का काम किया, वही लापरवाही मुख्यमंत्री जी समीक्षा बैठक कर रहे हैं और ये टिक-टॉक विडियो देख रहे हैं । हमने ट्वीट भी किया और इसकी जानकारी भी दी है तो ये गंभीरता और

लापरवाही जो है ये सब के सामने है । हमलोग विपक्ष की ओर से यह मांग करते हैं कि ऐसे मंत्री जो सिरियस नहीं हैं उनका इस्तीफा लें, नहीं तो बर्खास्त करने का काम करें, ये हम मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं । अगर सरकार के लोग गंभीर नहीं रहेंगे महोदय, सरकार के लोग ही इन नियमों को नहीं मानेंगे तब कैसे चलेगा बिहार । हम क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को तो ये पैनिक का जो वातावरण है, उसमें मंत्री जी को जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, तो इस तरह के काम में लगे ये गंभीर नहीं है । इसलिए मुख्यमंत्री जी से हम लोगों का सुझाव यही है कि ऐसे मंत्री को बर्खास्त करने का काम करें ।

श्री मंगल पांडेय, मंत्री : महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने मेरे विषय में जो कुछ चर्चा की है ।

अध्यक्ष : बोलने दीजिए न, माननीय मंत्री जी की बात पहले सुन तो लीजिए ।

श्री मंगल पांडेय, मंत्री : महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने कुछ विषय मेरे संबंध में रखा है, मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूँ । जिस कार्यक्रम की चर्चा कर रहे हैं न तो मैं किसी सभा में गया हूँ नेता प्रतिपक्ष को बतलाना चाहता हूँ । न मैं किसी सम्मेलन में गया हूँ, न मैं किसी पब्लिक गैदरिंग कार्यक्रम में गया हूँ, न मैं किसी प्रशिक्षण शिविर में गया हूँ । गलत तरीके से विषय को प्रचारित नेता प्रतिपक्ष न करें, ये मेरा निवेदन होगा उनसे । यह बहुत ही गंभीर विषय है, कोरोना जैसे मामले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए और ऐसे गंभीर विषय पर जनता की संवेदना और जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने जो निर्णय लिया है, उसका हम पालन करते हैं ।

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सरकार । एक आदमी बोलिए न ।

(व्यवधान)

श्री महबूब आलम : महोदय, जिस तरह पटना जंक्शन एरिया में डंपिंग हाऊस बना दिया गया है और वहां हजारों की, लाखों की भीड़ होती है और वहाँ हनुमान मंदिर है, मस्जिद है। ये गंभीर मुद्दा है ।

अध्यक्ष : हो गया तो । अब छोड़ दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने बोला कि मेरे सारे आरोप झूठे हैं, इन्हीं के ट्वीटर हैंडल पर देख लीजिए, ये सबूत है । रोहतास जिले में कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद, बक्सर एवं रोहतास जिला के क्षेत्रीय कार्यशाला में । हमलोगों ने अपना कार्यशाला रद्द किया । ये दो दिन....

(व्यवधान)

श्री मंगल पांडेय,मंत्री : वह एक कमरे की तस्वीर है जिसमें बहुत कम लोग बैठे हैं ।

अध्यक्ष : हो गया । चलिए अवधेश जी, बताइये ।

(व्यवधान)

श्री अवधेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके कार्य-मंत्रणा में यह तय हुआ था ।

अध्यक्ष : आपका ध्यानाकर्षण था, वही न कह रहे हैं । आपका कोरोना वायरस के बारे में और गया एयरपोर्ट पर जो सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है । यात्रियों की...

श्री अवधेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, पूरे बिहार की बात हमने किया है न । पहले सुन तो लिया जाए । कोरोना वायरस के लिए ध्यानाकर्षण तो बहुत छोटा चीज हो गया, जब सदन में सर्वसम्मति...

अध्यक्ष : बात बोलिए न ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, वही बोल रहा हूँ, बोलने कहां दे रहे हैं आप । अध्यक्ष महोदय, हम यह कहना चाह रहे हैं कि कोरोना जितनी अहमियत से पूरे सदन में पक्ष और विपक्ष सभी लोगों ने आपके सुझाव को हमलोग सर आंखों पर लिया, तो कोरोना की हिफाजत के लिए जो हास्पिटल में डॉक्टर नहीं है, जो पी0एच0सी0 में डॉक्टर नहीं है । कोरोना ...

अध्यक्ष : कोरोना के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी न बतायेंगे ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : महोदय, मैं यह कह रहा हूँ कि उसके बारे में आज कोरोना के लिए हमलोग चिंतित हैं । आज हजारों शिक्षक रोड पर हैं । उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को....

अध्यक्ष : कोरोना वायरस से शिक्षक का क्या लेना है ?

श्री अवधेश कुमार सिंह : क्यों नहीं ? ये भीड़ से बचने की बात है । भीड़ में शिक्षक भी बैठे हुए हैं हड़ताल पर । उसपर तो राय लेनी चाहिए ।

अध्यक्ष : कोरोना वायरस से शिक्षक का कोई मतलब नहीं है । अब सिद्दिकी जी । एक मिनट बोलिए, समीर जी बैठिए न ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, आपकी अध्यक्षता में जो कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक हुई और कार्य-मंत्रणा समिति में जो मुद्दे उठे थे, उसको हमलोगों ने स्वीकार किया और सर्वसम्मति से उसका समर्थन किया । महोदय, आपको याद होगा कि ठीक है कोरोना ने देश और दुनिया में जिस तरह की परिस्थिति पैदा की है । उसकी वजह से राज्य भी और देश भी परेशान है और इसका उपाय खोज रहा है और प्रिकॉस्नरी मेजर में भी कार्रवाई की जा रही है । मैं सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी को यह अवगत कराना चाहता हूँ दो बात । नंबर एक, जो हास्पिटल है और खासकर देहाती

एरिया में कॉम्यूनिटि हेल्थ सेंटर है, पी0एच0सी0 है, एडिशनल पी0एच0सी0 है तो कम से कम वार लेवल पर यह सुनिश्चित किया जाए कि वहॉ स्ट्रेंथ के हिसाब से हर हाल में डॉक्टर की व्यवस्था की जाए ।

नंबर 2 महोदय, यह तो महामारी है । गंदगी से भी फैलती है, तो अब पटना में पटना जंक्शन का हवाला, हमने कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में दिया था कि वहॉ कूड़ा-कर्कट फेंकने का डम्प किया गया । वहॉ मंदिर भी है, मस्जिद भी है, पटना जंक्शन भी है, दुकानदारी भी है तो कम से कम सफाई पर युद्धस्तर पर नाली पर, सड़क पर, कूड़ा-कर्कट पर इन सब चीजों पर ध्यान दें ।

अध्यक्ष : आपका सुझाव मौजूं है । माननीय मुख्यमंत्री जी ।

श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले बिहार विधान सभा के सभी सम्मानीय सदस्यों को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि सब लोगों ने एकजुट होकर यह निर्णय लिया कि हम सब लोगों को मिलकर, एक जो संकट आया है कोरोना वायरस का दुनियाभर में, हम अपने राज्य को बचाएँ, देश को बचाएँ और उसके लिए जो भी जरूरी काम है हम सब लोगों को मिलकर करना है और उसके लिए एकजुट होकर यह फैसला लिया गया है, यह अपने-आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है । दल के माननीय नेताओं को, सभी माननीय सदस्यों को बधाई देता हूँ और इसके संबंध में जो नोवेल कोरोना वायरस है उसके संबंध में जो स्थिति है और जो किया जा रहा है उसके बारे में बहुत ही एक छोटा स्टेटमेंट संक्षेप में हम आपके सामने, सदन के समक्ष रखना चाहते हैं, सदन के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों के समक्ष इस बात को रखना चाहते हैं । नोवेल कोरोना वायरस का संक्रमण आज पूरे विश्व के लिए महामारी बन चुका है । इसकी शुरूआत चीन के वुहान शहर से दिसम्बर, 2019 में हुई थी । आज 148 से अधिक देश इसकी चपेट में आ चुके हैं । आज के दिन 16 मार्च को 10 बजे पूर्वाहन तक पूरे विश्व में 1 लाख 69 हजार 387 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाये गये हैं, जिनमें से 6513 व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है । अकेले चीन में 81,020 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए और उनमें से 3217 लोगों की मृत्यु हुई है । ईटली, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, स्पेन आदि देशों में भी इसका संक्रमण काफी तेजी से फैला है । विभिन्न देशों में कोरोना वायरस के संक्रमण के अनुभवों से यह पता चला है कि जिन देशों में पूरी तरह से लॉक डाऊन (जन आवागमन/सामूहिक गतिविधियों पर प्रतिबंध) की प्रक्रिया अपनाई गई तथा लोगों को अपने घरों में रहने के लिए निदेशित किया, उन्होंने यथा ताईवान, हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड इत्यादि ने इसके संक्रमण को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की है । यह बात अब स्पष्ट हो गई है कि इसके

संक्रमण को रोकने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका Social Distancing (सामाजिक एवं आपसी दूरी को बनाकर रखना) है । आपस में भी अगर घर में रहते हैं तो थोड़ी दूरी कर के और बाहर भी जब निकलते हैं तो थोड़ी दूरी कर के और बहुत ज्यादा भीड़ में सफर नहीं कीजिए, यही अर्थ है Social Distancing का । सभी जगह कहा जा रहा है कि सामाजिक एवं आपसी दूरी को बना कर रखना है । बिहार के सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश तथा सीमावर्ती देश नेपाल में इस रोग के केस प्रतिवेदित हो चुके हैं । साथ ही राज्य के कई जिलों से विदेशों में लोगों का आना जाना लगातार होता रहता है जिससे यहाँ भी संक्रमण का खतरा बना हुआ है ।

यह रोग सामान्य वायरल इंफेक्शन की तरह खांसने एवं छींकने से ड्रॉपलेट्स (थूक की महीन बूंदें) के माध्यम से फैलता है । यदि संक्रमित व्यक्ति से कोई हाथ मिला ले अथवा उसके पास नजदीक में रहे तो उनमें भी संक्रमण होने का खतरा रहता है। यदि रोगी से निकले हुए ड्रॉपलेट्स यानी थूक की महीन बूंदें किसी व्यक्ति के हाथ में लग जाए और वह व्यक्ति अपने हाथ से मुँह, नाक अथवा आँख को छू ले तो उस व्यक्ति को भी संक्रमण हो सकता है । अतः व्यक्तिगत बचाव के लिए यह आवश्यक है कि किसी भी व्यक्ति से 2 मीटर की दूरी बना के रखी जाए, अपने हाँथों को साबुन से 20 सेकेन्ड तक रगड़-रगड़ कर धोया जाए और खाँसते समय मुँह पर रूमाल रखा जाए । साथ ही किसी भी भीड़ वाले स्थान यथा सामुदायिक समारोह (शादी, जन्मदिवस, पार्टी, त्योहार, बैठक, अन्य आयोजनों इत्यादि) और सामुदायिक स्थलों (स्कूल, कॉलेज, मार्केट्स, सिनेमा हॉल, पार्क, मॉल, सामुदायिक भवन इत्यादि) पर जाने से बचा जाए । साथ ही जहाँ तक संभव हो अनावश्यक यात्रा न किया जाए । Social Distancing का यही अभिप्राय है जो हम लोगों ने Social Distancing की बात कही, सामाजिक और आपसी दूरी तो Social Distancing का यही मतलब है, जिसका हम लोगों ने जिक्र किया और Social Distancing का यही अभिप्राय है और सब लोगों को सजग रहना है । अब मास्क के प्रयोग के बिन्दु पर विशेषज्ञों की राय है जैसे विधान परिषद् में मास्क बॉट रहा था तो मैं देखकर दंग हो गया, मैं बोला भाई क्यों ऐसे मास्क बॉट रहे हो, क्या बात है ? तो उसके बारे में विशेषज्ञों की जो राय है वह जानना बहुत जरूरी है । मास्क के प्रयोग के बिंदु पर विशेषज्ञों की राय है कि स्वस्थ व्यक्तियों को मास्क पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है । मास्क के प्रयोग के बिंदु पर जो अभिप्राय है उसके मुताबिक मास्क उनके लिए है जो संक्रमित हों, जिनको बीमारी हो गई हों और संक्रमित हैं मास्क उनके लिए जरूरी है या वैसे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए है जो उनका उपचार कर रहे हैं जो देखभाल कर रहे हैं उन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए

उसकी जरूरत है । यदि मास्क का प्रयोग किया जाता है तो उसके निस्तारण के प्रति भी हमें सजग रहना पड़ेगा, ये नहीं कि मास्क सिर्फ लगा लिए और उसका प्रयोग कर रहे हैं । इसका निस्तारण भी करना है ये भी जरा विशेषज्ञों की बात जान लीजिए, जानकर के आज हम इसकी सूचना दे रहे हैं, निस्तारण के प्रति भी हमें सजग रहना पड़ेगा । सामान्यतः एक मास्क का प्रयोग 6-8 घंटे के लिए किया जा सकता है तथा इसके इस्तेमाल के उपरान्त उसे जला देना या मिट्टी कोड़ कर के गहरे भूमिगत गड्ढे में निस्तारण करना उपयुक्त होगा, तभी हम संक्रमण से बच सकेंगे । ये नहीं कि मास्क पहन लिया और मास्क पहने ही जा रहे हैं । उसको कहीं फेंक दिया, घर में कहीं रख दिया । 6-8 घंटे तक ही उसका प्रयोग कर सकते हैं उसके बाद या तो उसे मिट्टी कोड़ कर के उसके अंदर डाल दीजिए या फिर उसको जला दीजिए, ये जरूरी है नहीं तो यह खतरा है । इस बात की चर्चा कर देना, जो विशेषज्ञों की राय है उसके आधार पर कर दिया जाए । पता नहीं कौन-कौन लोग कहां-कहां किसको क्या कह देते हैं । इसलिए जो विशेषज्ञों की राय है जो हम लोगों के पास सूचना आयी है निरंतर हम लोग उसके लिए बातचीत कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, ये उचित समझा कि इस बात की चर्चा कर दें ।

राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय प्राईवेट सहित, कोचिंग संस्थान, आँगनबाड़ी केन्द्र, सरकारी पार्क, चिड़ियाघर इत्यादि के साथ राज्य के सभी सिनेमा हॉल एवं संग्रहालयों को 31 मार्च, 2020 तक बंद करने का निर्णय लिया है । मध्याह्न भोजन एवं आँगनबाड़ी से मिलने वाले भोजन के स्थान पर राशि छात्रों/अभिभावकों के खाते में देने का निर्णय लिया गया है । साथ ही सभी प्रकार के सरकारी आयोजनों को स्थगित कर दिया गया है । कोरोना वायरस संक्रमण की जाँच की व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है तथा इसके उपचार के लिए अतिरिक्त वेंटिलेटर्स, आइसोलेशन वार्ड इत्यादि की व्यवस्था की गई है । स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संक्रमण की रोकथाम के लिए तथा ईलाज के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है । सभी जिला अस्पतालों एवं चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड का निर्माण किया गया है तथा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में वेंटिलेटर की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है । मैंने स्वास्थ्य विभाग को 100 अतिरिक्त वेंटिलेटर्स की स्थापना किए जाने का निर्देश दिया है और उस पर काम शुरू हो गया । साथ ही पटना एवं गया हवाई अड्डे पर प्रभावित देशों से आ रहे यात्रियों की सघन स्क्रीनिंग की जा रही है। बिहार और नेपाल की सीमा पर भी 49 स्थानों पर आ रहे यात्रियों की लगातार स्क्रीनिंग की जा रही है ताकि हम संक्रमण से

सुरक्षित रह सकें । सरकार के द्वारा प्रभावित देशों से आ रहे यात्रियों को Quarantine किए जाने की भी व्यवस्था की जा रही है । नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के ईलाज का पूरा खर्च का वहन अभी जो Quarantine के लिए इंतेजाम किया जा रहा है आज हम लोगों ने एक जगह ईयर-मार्क कर लिया है, उसको दुरुस्त किया जा रहा है, वहीं पर Quarantine को रखा जाएगा, कुछ दिन के लिए उनको रखना है जो बाहर से आए हैं । बहुत अच्छी जगह है पाटलीपुत्रा होटल, वहाँ । वह जगह बहुत दिनों से खाली पड़ी हुई है । आज उसी के बारे में निर्णय हुआ, उसी की हमलोग साफ-सफाई और सब तरह से उसको दुरूस्त कर के उसी का इस्तेमाल Quarantine के लिए किया जाएगा । नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज का पूरे खर्च का वहन राज्य सरकार के मुख्य मंत्री चिकित्सा सहायता कोष से किया जाएगा । साथ ही यदि इस रोग से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके निकटतम आश्रित को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख रुपये की मदद दी जाएगी । सरकार के समूह 'ग' एवं अवर्गीकृत कर्मियों को एक दिन बीच कर कार्यालय आने की व्यवस्था लागू की जा रही है ताकि कार्यालयों में एक साथ जुटाव न हो । शिक्षकों एवं सरकारी कर्मचारियों को भी इस बीमारी से बचाव के उपायों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा । इसके अतिरिक्त भविष्य में स्थिति को देखते हुए जो भी आवश्यक होगा, उसके लिए निर्णय लिए जाएँगे । बिहार सरकार इस खतरे के प्रति पूरी तरह से सचेत है और इसके संक्रमण को रोकने के लिए लगातार आवश्यक कदम उठा रही है । कोरोना वायरस से लोगों को डरने की जरूरत नहीं है बल्कि इसके प्रति सजग एवं जागरूक रहने से ही लोग इससे अपना बचाव कर पायेंगे । हम सब मिलकर सरकार में हों, बाहर के हों, जितने भी कॉन्सस लोग हैं सबलोगों को इस खतरे का सामना करना है और हमलोग मिलकर करेंगे । कहीं से भी कोई सूचना हुई, आपस में थोड़ा संपर्क हमलोगों का कायम होना चाहिए । किसी भी इलाके के बारे में कहीं कोई जानकारी आती है, कोई सूचना प्राप्त होती है तो हम चाहेंगे कि उसकी व्यवस्था करें । हमारे कार्यालय में भी आप जिस समय भी फोन कीजिएगा, ऐसा इंतेजाम करेंगे कि उसके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त हो जाए, उसके लिए जो कुछ भी करना है किया जाएगा । इस तरह से यह अवेयरनेस सबसे ज्यादा जरूरी है ।

क्रमशः

टर्न-7-8/ 16-03-2020/ज्योति-पुलकित

क्रमशः

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : डर से ज्यादा जरुरी है अवेयरनेस, जागृति की, हम सब लोगों को सजग रहना है, एक चीज के बारे में हम और कह देना चाहते हैं कि यह जो आप देख रहे हैं, अब ऐसा है कि जलवायु परिवर्तन हुआ है अब मार्च महीने में क्या माहौल है, कितनी वर्षा हो रही है, क्या टेम्परेचर है यह देख कर बहुत चिंता हो रही है, सचमुच में जलवायु का परिवर्तन हो रहा है और हमलोग जो भी मिलकर कोशिश कर रहे हैं, वह तो अपनी जगह पर है लेकिन जो भी इस बार फरवरी में हुआ, मार्च में भी हुआ, उसमें तो 24 से 26 फरवरी में असामयिक वर्षा और ओलावृष्टि के कारण राज्य के 11 जिलों में 31,929 हेक्टेयर में फसल क्षति हुई है, इसका आकलन किया गया और कृषकों को कृषि इनपुट अनुदान वितरण करने के लिए राशि का आवंटन कर दिया गया । वह काम किया जा रहा है लेकिन यह तो फरवरी में हुआ था, लेकिन जो मार्च में हो गया उसके बारे में हम कह देना चाहते हैं, मार्च महीने में एक तो दिनांक 4 से 6 मार्च यानी तीन दिन 4, 5, 6 मार्च और फिर अभी कल तक 13, 14, 15 मार्च को राज्य में विभिन्न जगहों पर हुए असामयिक वर्षा के कारण सभी जिलों में खड़ी फसल के क्षति होने की सूचना प्राप्त हुई है । यानी रबी की फसल पर असर पड़ रहा है तो हर प्रकार का जो असर पड़ रहा है तो इस क्षति का विस्तृत सर्वेक्षण कार्य कृषि विभाग के द्वारा कराया जा रहा है और जो भी प्रभावित हमारे किसान हैं उन सबों को सहायता प्रदान की जायेगी और उनके बीच कृषि इनपुट अनुदान का वितरण यथाशीघ्र किया जाएगा । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

हम लोगों को, जो कोरोना वायरस है, उससे सभी लोगों को सचेत करना चाहिए, यही हम विनम्र प्रार्थना करेंगे, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है और अच्छा है कि अपने यहॉ नहीं हो । आज भी कितने लोग बाहर से चले आते हैं। रोज सुबह एयरपोर्ट पर जाइये तो बाहर से लोग आते रहते हैं, अब वहॉ पर न सिर्फ देखने की व्यवस्था है, बल्कि आज से कर दिया गया है कि अधिकारीगण वहॉ पर रहेंगें, एक तो वरिष्ठ अधिकारी वहॉ पर रहेंगे कि भाई एक-एक लोग जो बाहर से आ रहे हैं उनका पूरा का पूरा स्क्रीनिंग करके देख लिया जाय ताकि किसी तरह का कुछ संकट उत्पन्न नहीं हो और सब कोशिश की जा रही है । फिर भी हम दोबारा कहेंगे कि जो भी जानकारी या जो भी आईडिया न सिर्फ जानकारी बल्कि किन्हीं को भी यह एक आईडिया लगता है कि यह काम करना चाहिए तो जरुर उसके बारे में सरकार को सूचना दीजिए, और हमलोग सामूहिक बैठक तो कर ही रहे हैं लेकिन जरुरत पड़ने पर आपस में हमलोग बातचीत तो कर ही सकते हैं न, तो वह सब भी करना चाहिए और सब को मिल करके इस परिस्थिति का सामना करना चाहिए । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण...

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों को हमलोगों ने सुना कि किसान की भी जो स्थिति है, जिस प्रकार से क्षति हुई, फसल की बे-मौसम बरसात से, वे सारी बातें ठीक हैं, लेकिन एक बात इसमें कोरोना वायरस के चक्कर में छूट गयी कि कोरोना वायरस से जितने व्यापारी हैं व्यावसायिक हैं, उन्हें बड़ा नुकसान हुआ और जो बैंकों से उधार लेकर जो व्यापार कर रहे हैं, वह बेचारे व्यापारी ई.एम.आई. कहॉ से लौटा पायेंगें तो वैसे जो व्यापारी हैं जिसको अलग से सरकार को देखना चाहिए और थोड़ी व्यवस्था उनके लिए करनी चाहिए क्योंकि बिहार में काफी बड़ी हरेक चीज का नुकसान हो रहा है, पहले से ही व्यापारी नुकसान में है । अभी कोरोना वायरस के कारण और भी व्यापार में काफी नुकसान हुआ है इसलिए हम मुख्यमंत्री जी से चाहेंगे कि ऐसे व्यापारियों के लिए भी अलग से व्यवस्था वह करवाने का काम करेंगे ।

समापन भाषण

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण,

षोडश बिहार विधान सभा का पंचदश सत्र दिनांक 24 फरवरी, 2020 से प्रारम्भ होकर आज दिनांक 16 मार्च, 2020 को समाप्त हो रहा है । इस सत्र में कुल 11 बैठकें हुई ।

सत्र के प्रथम दिन दिनांक 24 फरवरी, 2020 को महामहिम राज्यपाल द्वारा बिहार विधान मंडल के सह-समवेत बैठक में दोनों सदनों के सदस्यों को विस्तारित भवन में संबोधित किया गया है । बिहार विधान सभा में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित तथा महामहिम राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित 01 (एक) विधेयक एवं महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमोदित 05 (पाँच) विधेयकों का एक विवरण सभा सचिव द्वारा सदन पटल पर रखा गया । माननीय मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति सदन पटल पर रखी गयी । कुल-03 (तीन) जननायकों के निधन के प्रति शोक-प्रकाश किया गया एवं दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गयी ।

दिनांक 25 फरवरी, 2020 को सदन में सी0ए0ए0, एन0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0 के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत हुआ एवं विमर्शोपरान्त एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ । इसके अलावा अगली जनगणना का कार्य जाति आधारित कराने हेतु अनुरोध संबंधी आसन का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ

प्रभारी मंत्री,वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक को सदन में उपस्थापित किया गया । आय-व्ययक पर हुए सामान्य विमर्श का उत्तर दिनांक 28 मार्च, 2020 को माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया । आय-व्ययक 2020-21

के पाँच अनुदानों की माँगें सदन में विमर्श के उपरान्त स्वीकृत की गईं । शेष अनुदान की माँगें मुखबंध (गिलोटीन) के माध्यम से स्वीकृत हुए । तदुपरान्त संबंधित विनियोग विधेयक स्वीकृत हुआ ।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर दिनांक 25 फरवरी, 2020 को माननीय सदस्या, श्रीमती डॉ0 रंजु गीता द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर जारी वाद-विवाद का उत्तर दिनांक 26 फरवरी, 2020 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया, तत्पश्चात धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

दिनांक 02 मार्च, 2020 को वित्तीय वर्ष 2019-20 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद हुआ तथा सरकार के उत्तर के बाद माँग स्वीकृत हुई एवं शेष माँगें गिलोटीन (मुखबंध) के माध्यम से स्वीकृत हुईं । तत्पश्चात संबंधित विनियोग विधेयक भी स्वीकृत हुआ ।

सत्र के दौरान कुल-3826 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें 2934 प्रश्न स्वीकृत हुए । स्वीकृत प्रश्नों में 54 अल्पसूचित, 2782 तारांकित एवं 98 प्रश्न अतारांकित थे । सदन में उत्तरित प्रश्नों की संख्या-137, सदन पटल पर रखे गये प्रश्नोत्तर की संख्या-479, उत्तर संलग्न प्रश्नों की संख्या-189, अपृष्ठ प्रश्नों की संख्या-23 रही । शेष 2106 प्रश्न अनागत हुए एवं 840 प्रश्नों के उत्तर ऑनलाईन के माध्यम से प्राप्त हुए ।

इस सत्र में कुल-150 ध्यानाकर्षण सूचनाएँ प्राप्त हुईं, जिनमें 19 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए तथा 24 सूचनाएँ लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजे गये एवं 107 अमान्य हुए ।

इस सत्र में कुल-254 निवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 252 स्वीकृत हुए एवं 02 अस्वीकृत हुए । कुल-109 याचिकाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 86 स्वीकृत एवं 23 अस्वीकृत हुई।

माननीय सदस्यों द्वारा इस सत्र के दौरान शून्यकाल के माध्यम से अनेक जनहित के मामले उठाये गये एवं विभिन्न विभागों के प्रतिवेदन, नियमावली एवं अधिसूचना की प्रति तथा बिहार विधान सभा के विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गये । अंत में, आज कोरोना वायरस से उत्पन्न महामारी कोविड 19 के प्रकोप के मद्देनजर कार्य-मंत्रणा समिति की अनुशंसा पर सत्र की शेष कार्यवाही स्थगित करने का निर्णय हुआ।

सत्र के संचालन में सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ-साथ पक्ष एवं प्रतिपक्ष के आप सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूँ । मैं विशेष रूप से आप सबों को साधुवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आपके सहयोग से ही इस

सत्र का संचालन अपेक्षाकृत अधिक सफलता से हो पाया । आशा है आने वाले सत्र में भी पक्ष–प्रतिपक्ष के आप सभी माननीय सदस्यों का सहयोग इसी तरह प्राप्त होता रहेगा जिससे हम सभी अधिकतम जनहित साधने में सफल होंगे, जो हमारा अभीष्ट है ।

समाचार प्रेषण में पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही सफलता से ले जाने का कार्य किया है, इस हेतु मैं उन्हें भी साधुवाद देता हूँ ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित पुलिस बल के जवानों ने तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन किया है, इसके लिए वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं ।

शोक–प्रकाश

माननीय सदस्यगण, इससे पहले कि मैं सदन की कार्यवाही स्थगित करूँ, इस सत्रावधि में कतिपय जननायकों के निधन की सूचना मिली है जिनके प्रति शोक प्रकट करना हमारा कर्त्तव्य है ।

स्वर्गीय बैद्यनाथ प्रसाद महतो

लोकसभा के वर्तमान सदस्य श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो का निधन दिनांक 28 फरवरी, 2020 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 73 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय महतो पश्चिम चम्पारण (बेतिया) जिले के वाल्मीकिनगर लोकसभा निवार्चन क्षेत्र से वर्ष 2009 एवं 2019 में लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे वर्ष 2000, मार्च, 2005 एवं नवम्बर, 2005 में नौतन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे। वे लोकप्रिय एवं मिलनसार व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय डॉ0 सियाराम राय

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य डा0 सियाराम राय का निधन दिनांक 22 फरवरी, 2020 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 91 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय राय बांका जिला के बेलहर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1985 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय मोती लाल सिन्हा 'कानन'

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य तथा बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्री मोती लाल सिन्हा 'कानन' का निधन दिनांक 10 मार्च, 2020 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 82 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय कानन वैशाली जिला के हाजीपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1969, 1972 एवं 1985 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे । वे समाजवादी विचार के मृदुभाषी एवं कर्मठ समाजसेवी थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

अब हमलोग एक मिनट तक मौन खड़े होकर दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए प्रार्थना करें ।

(एक मिनट का मौन)

मैं अपनी तथा सम्पूर्ण सदन की ओर से शोक संतप्त परिवार के पास संदेश भेजवा दूँगा ।

अब ईश्वर से भारत सहित पूरे विश्व को तत्काल कोविड 19 से त्राण एवं निजात दिलाने की प्रार्थना के साथ सभा की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है ।